न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2018 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा –प्रार्थी

बनाम

1. श्री पंकज कुमार पुत्र कैलाश नारायण गुप्ता निवासी 39 नारायण नगर ज्योति कॉलोनी तहसील जहाजपुर –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 29.08.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 क़ा विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर की सूचना पर हनुमान नगर स्थित के के मारूति वर्कशॉप एवं राज भंवर होटल के पास पंकज कुमार गुप्ता के निजी गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर पंकज गुप्ता ने स्वयं को गोदाम का मालिक होना बताया। निरीक्षीण के दौरान मौके पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम वाले एवं 05 गैस रिफिलिंग मशीन/ मोटर मिले। मौके पर आरोपी द्वारा सिलेण्डरों के कागजात पेश नही किये गये। इससे स्पष्ट होता हैं कि विपक्षी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहनों में अवैध रूप से रिफलिंग की जाकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता हैं। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना पाया गया। अतः वजह सबूत आरोपी पंकज गुप्ता से 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 05 गैस रिफलिंग मशीन/ मोटर जब्त सरकार किया जाकर श्री राम कुमार मीणा मालिक खैराड गैस सर्विस जहाजपुर निवासी जहाजपुर को सुपुर्दगी में दिये गये। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 123.2 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 05 गैस रिफलिंग मशीन/ मोटर को राजसात करने का आदेश किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.2018 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर की सूचना पर हनुमान नगर स्थित के के मारूति वर्कशॉप एवं राज भंवर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

होटल के पास पंकज कुमार गुप्ता के निजी गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर पंकज गुप्ता ने स्वयं को गोदाम का मालिक होना बताया। निरीक्षीण के दौरान मौके पर 11 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम वाले एवं 05 गैस रिफिलिंग मशीन/ मोटर मिले। मौके पर आरोपी द्वारा सिलेण्डरों के कागजात पेश नही किये गये। इससे स्पष्ट होता हैं कि विपक्षी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहनों में अवैध रूप से रिफलिंग की जाकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता हैं। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना पाया गया। अतः वजह सबूत आरोपी पंकज गुप्ता से 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 05 गैस रिफलिंग मशीन/ मोटर जब्त सरकार किया जाकर श्री राम कुमार मीणा मालिक खैराड गैस सर्विस जहाजपुर निवासी जहाजपुर को सुपुर्दगी में दिये गये। निवेदन हैं कि जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 123.2 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 05 गैस रिफलिंग मशीन/ मोटर को राजसात करने का आदेश किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका पर हस्ताक्षर किये एवं गैस रिफलिंग का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों में घरेलू गैस की रिफलिंग का कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 11 गैस सिलेण्डर मय 05 रिफलिंग गैस मशीन को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 11 गैस सिलेण्डर मय 05 रिफलिंग गैस मशीन को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा 11 गैस सिलेण्डर मय 05 रिफलिंग गैस मशीन का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा